

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प वामनियाठला

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वामनियाठला
व भूअनि पद्मभारती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलभगरा / नायब
तहसीलदार की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वामनियाठला तहसील रेलभगरा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०१७ संस्थाप में खाता संख्या २२४ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	वामनियाठला	२२४	वान्दी पाते स्व० छोगा बलाई	वान्दी पाते स्व० छोगा सासवी

रेलभगरा
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 425

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार रेलभगरा को गेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलभगरा
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,